

Shri to mail

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/22/16812-17051

जयपुर, दिनांक: 29-8-2022

मुख्य नगरपालिक अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

विषय: पशुवध गृह/मांस मछली की दुकाने बन्द रखने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित तिथियों को राज्य के सभी बूचडखाने एवं मांस-मछली की दुकाने बन्द रखी जावें।

पर्व	दिनांक	वार
पर्युषण एवं संवत्सरी	30.08.2022 एवं 31.08.2022	मंगलवार एवं बुधवार
अनंत चतुर्दशी	09.09.2022	शुक्रवार

(हिदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

जयपुर, दिनांक: 29-8-2022

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/22/17052-17370
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
6. समस्त, उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क) निदेशालय स्थानीय निकाय को प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर अपलोड कराने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी